



वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग-4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय संबंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी की जाए)

आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत एतमानगर, केन्दई, पसान, जटगा परिक्षेत्र / ब्लाक के आरक्षित वन भूमि 13.065 हे.; नारंगी वन भूमि रकबा 7.277 हे.; एवं राजस्व वन भूमि 1.089 हे. कुल आवेदित वन भूमि रकबा 21.431 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत व्यपवर्तन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

प्रस्ताव में दर्शाये अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अभिमत से सहमत होते हुए ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु 21.431 हे. वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुशंसा की जाती है।

दिनांक: 09/02/2022
स्थान: अरण्य भवन, नवा रायपुर

(राकेश चतुर्वेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
वन बल प्रमुख
छत्तीसगढ़



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840

ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/ विविध-1/115-877(ए)/२५२

दिनांक 10/02/2022

प्रति,

प्रमुख सचिव

छ.ग. शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन

नवा रायपुर, अटल नगर

विषय :-

Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II (Katghora Forest Division) Forest Land required for Optical Fibre Cable Laying works under National Optical Fibre Network Project of Bharat Broadband Network Limited (BBNL) for providing Broadband Connectivity from Poundi Uproda Block Headquarter to Gram Panchayats within Katghora Forest Division Katghora, District Korba, area – 21.431 - regarding

पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 59432/ 2020

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्र/तक/3100 दिनांक 15.11.2021

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र-3 में अनुशंसा उपरांत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव का चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांकवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्र
1.	आवेदक विभाग का मांग पत्र- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत एतमानगर, केन्दई, पसान, जटगा परिक्षेत्र / ब्लाक के आरक्षित वन भूमि 13.065 हे.; नारंगी वन भूमि रकबा 7.277 हे.; एवं राजस्व वन भूमि 1.089 हे. कुल आवेदित वन भूमि रकबा 21.431 हे. के गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।	1
2.	रजिस्ट्रेशन कोड एवं वर्ष की पुष्टि हेतु ऑनलाईन एकनालेजमेंट स्लिप की छायाप्रति:- प्रस्ताव का ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/OFC/ 59432/ 2020 आबंटित किया गया है। आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव में शासन के आदेशानुसार पंजीयन एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल रु. 24,000/- जमा कराया गया है।	2-3
3.	वन क्षेत्र का विवरण:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी चिप्स रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा कोरबा जिले के कटघोरा वनमण्डल अंतर्गत एतमानगर, केन्दई, पसान एवं जटगा परिक्षेत्र / ब्लाक के आरक्षित वन भूमि 13.065 हे.; नारंगी वन भूमि रकबा 7.277 हे.; एवं राजस्व वन भूमि 1.089 हे. कुल आवेदित वन भूमि रकबा 21.431 हे. वन भूमि पर ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के लिये वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत व्यवर्तन हेतु प्रस्तावित है। आवेदित क्षेत्र का विस्तृत विवरण संलग्न है।	4-10
4.	गैर वन क्षेत्र विवरण:- कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत एतमानगर, केन्दई, पसान, जटगा परिक्षेत्र / ब्लाक को जुड़ने वाले मार्गों के मौजूदा राईट आफ के अंतर्गत ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के कार्य हेतु प्रभावित गैर वनक्षेत्र का कुल रकबा 16.834 हे. है। विस्तृत विवरण प्रस्ताव में संलग्न है।	11-12

5.	प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे आफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर:- प्रस्तावित वनक्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का 1:50000 स्केल का मानचित्र संलग्न है।	13-31
6.	वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप:- प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु प्रभावित वनक्षेत्र का इंडेक्स मैप संलग्न है।	32-76
7.	प्रपत्र-4 में प्रस्ताव:- प्रपत्र - 4 में परियोजना की प्रशासकीय लागत 70 करोड़ 86 लाख रु. बतायी गई है। यूजर एजेंसी ने कथन किया गया है कि कोरबार जिले के कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत एतमानगर, केन्दई, पसान, जटगा के समस्त ग्राम पंचायतों को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने से समस्त ग्राम पंचायत डिजिटलीकृत हो जायेंगे जिससे ग्रामवासियों के पंचायत संबंधित कार्य त्वरित गति से तथा सुचारु रूप से संपादित होंगे।	77-83
8.	प्रोजेक्ट पर विस्तृत टीप:- तीन पृष्ठीय टीप यूजर एजेंसी द्वारा दी गई है जिसमें उन्होंने कथन किया है कि छ.ग. राज्य में इस प्रयोजन के तहत छ.ग. सरकार द्वारा ब्लॉक मुख्यालय से एक ऑप्टिकल फायबर केबल नेटवर्क स्थापित किया जावेगा जिसके अंतर्गत राज्य में 85 ब्लॉक, 5987 ग्राम पंचायतों को जोड़कर उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जावेगी।	84-86
9.	न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र:- प्रस्ताव में न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र संलग्न है।	87
10.	अधिनियम उल्लंघन अंतर्गत कार्यों/जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण एवं उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही:- इस परियोजना के अंतर्गत किसी भी अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत उल्लंघन की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।	88
11.	वनाधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा नाम, पदनाम सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक) प्रपत्र IV मुख्यालय से भरा जावेगा:- भाग-2 पर वन मंडलाधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 30.08.2021 से प्रस्ताव की स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। वन मंडलाधिकारी, कटघोरा के अनुशंसा के आधार पर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा दिनांक 12.11.2021 को वन भूमि व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। प्रस्तावित क्षेत्र के वन घनत्व 0.4 से 0.6 तक है।	89-104
12.	ऐतिहासिक प्रमाण पत्र:- प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र में ऐतिहासिक का महत्व स्थल एवं पुरातात्विक स्थल प्रभावित नहीं हो रहा है।	105
13.	संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।	106-109
14.	जिले की कुल वन भूमि रकबा हे. में:- कोरबा जिले के कुल वन भूमि रकबा 205090.100 है।	110
15.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि रकबा हे. में:- कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत स्वीकृत प्रकरणों में 09 प्रकरणों के 3774.223 हे. वनभूमि का व्यपवर्तन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत किया गया है।	111
16.	व.स.अ.-1980 अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावर्तित वन भूमि रकबा हे. में:- व.स.अ.-1980 तहत कटघोरा वनमंडल के अंतर्गत इसी श्रेणी के एक प्रकरण रकबा 0.338 व्यपवर्तित किया गया है।	112

17.	प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी कारीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी (छत्तीसगढ़ शासन का पत्र क्रमांक/ एफ-5-20/2007/10-2 दिनांक 12/01/2010):- प्रस्तावित क्षेत्र में 10 कि.मी की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी या हाथी कारीडोर न तो प्रस्तावित है न ही स्थिति है तथा तथा अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/ मूर्ति स्थापित नहीं है। तदाराय का वन मंडलाधिकारी एवं आवेदक संस्थान का संयुक्त प्रतिवेदन संलग्न है।	113
18.	वन अधिकार मान्यता पत्र विवरण की सूची एवं कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)। (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/F.No. 11-9/1998 दिनांक 03/08/2009):- आवेदित क्षेत्र के लिये वन अधिकार मान्यता पत्र वितरण से संबंधित कलेक्टर कोरबा का क्रमांक 2061 / 18/ 2021 दिनांक 27.09.2021 से जारी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।	114-116
19.	राजस्व वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र (कार्यालयीन पत्र क्रमांक भू-प्र/1317 दिनांक 25/05/2007):- प्रस्ताव में राजस्व वन भूमि सम्मिलित है। राजस्व वन भूमि के उपयोग हेतु कलेक्टर कोरबा के पत्र क्रमांक 2062/ मू.अ. / वन अधि/ 2021 दिनांक 27.09.2021 से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी की गई है। जो प्रस्ताव में संलग्न है।	117-121
20.	पंजीयन क्रमांक-पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण (छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ-7-22/2009/10-2 दिनांक 31/07/2009):- विवरण चेक लिस्ट बिन्दु क्रमांक-2 अनुसार है।	122
21.	राष्ट्रीय उद्यान/वन्यप्राणी अभ्यारण के अंदर में ओ.एफ.सी. गुजरने की स्थिति में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) छत्तीसगढ़ की अनुशंसा:- आस्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान/ वन्यप्राणी अभ्यारण क्षेत्र नहीं है। इस प्रस्ताव का कुछ क्षेत्र प्रस्तावित लेमरु ऐजीफेंट रिजर्व के अंतर्गत आ रहा है। परन्तु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के नवीन गाईड लाईन के चेप्टर -4.1 (C) के General Approval under Section 2 (ii) में दर्शाये अनुसार इस व्यपवर्तन प्रस्ताव में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) की अनुशंसा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रस्तावित क्षेत्र नेशनल पार्क / सेन्चुरी का क्षेत्रा नहीं है।	103-193

प्रकरण भारत शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया है तथा समस्त प्रचलित संबद्ध नियमों/दिशा - निर्देशों का पालन किया गया है। प्रस्ताव भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के वेब साईट में www.parivesh.nic.in पर अपलोड किया गया है।

उपरोक्त विवरण के आधार पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा स्वीकृति की अनुशंसा की गई है। मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के अनुशंसा के आधार पर प्रस्ताव से सहमत होते हुए, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़ की अनुशंसा निर्धारित प्रपत्र भाग-4 सहित वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रथम चरण की स्वीकृति के लिये प्रस्ताव, 2 प्रतियों में संलग्न प्रेषित है।

- संलग्न:-
1. प्रस्ताव 2 प्रतियों में
 2. संदर्भित पत्र की छाया प्रति
 3. भाग-4
 4. टाईम लाईन

(वन बल प्रमुख द्वारा अनुमोदित)


 (सुनील मिश्रा)
 अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध/व. स. अ)
 छत्तीसगढ़

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
3. आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।



अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़